now sharing a substantial portion of their revenue with the newly formed panchayats and its upper forums?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V.) CHANDRASHEKHAR MURTHY): The Tenth Finance Commission (TFC) has recommended a total transfer to States at Rs. 226643 crores during 1995-2000 as against Rs. 106036 crores recommended by the Ninth Finance Commission for the period 1990-95. The recommendations of the TFC have already been accepted by the Govt. of India. A copy of the Report of the TFC alongwith a copy of explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations of the TFC was placed on the Table of both Houses of Parliament on 14th March, 1995. Accordingly, the devolution of resources from Centre to States during 1995-2000 would be as per the recommendations of the TFC. The total devolution, as recommended by the TFC, include ad-hoc grant of Rs. 4380.93 crores for Panchayati Raj Institutions and Rs. 1,000 crores for Urban Municipal Bodies of all States to be made available in 4 equal instalments from the year 1996-97 to 1999-2000. The Central Govt. is committed to provide funds to the States for the Panchayati Raj Institutions as per the above recommendations of the TFC.

कृषि क्षेत्र के लिये ऋण

189. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन करने हेतु निधियों की कुल आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रति हैक्टेयर अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिये कृषि-क्षेत्र में आदानों के उपयोग हेतु किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का भी आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वित्त उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) से (ग) योजना आयोग के कार्यदल ने आठवीं योजनावधि के दौरान कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण का पूर्वानुमान लगाया था, जो निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
1992-93	7,619	7,369	14,88
1993-94	8,898	8,650	17,54
1994-95	10,534	10,143	20,67
1995-96	12,457	11,665	24,12
1996-97	15,041	13,414	28,45

कृषकों की उत्पादन ऋण की आवश्यकता वित्त की मात्रा के आधार पर मंजूर की जाती है। फसल ऋणों के लिए वित्त की मात्रा, स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त की इस मात्रा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करनी होती है और इसे कीमतों में परिवर्तन, निविष्टियों के स्तर, खेती की कुल लागत, कुल उपज, वापसी अदायगी की क्षमता आदि के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाता है।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 18% कृषि के लिए मंजूर करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कृषि को दिये जाने वाले

ऋण के प्रवाह में विशिष्ट और महत्वपूर्ण सुधार करने की दृष्टि से, बैंकों से विशेष ऋण योजनाएं तैयार करने के लिए आग्रह किया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उन क्षेत्रों और गतिविधियों का पता लगाएं, जिन पर वे सुविधापूर्वक ध्यान केन्द्रित कर सकते है तथा तदनुसार अपनी कार्ययोजनाएं तैयार करें। कृषि उत्पादन के वास्ते समय पर और पर्याप्त ऋण के लिए जो किसान कतिपय मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें उनकी मिश्रित ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकद ऋण सुविधा के रूप में लचीली ऋण सहायता प्रदान की जाती है। यह सुविधा उन किसानों को उपलब्ध है जिनके पास सिंचाई की सुविधा है तथा उनको भी दी जाती है जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है लेकिन जो फसल उगाने के साथ-साथ डेरी, मुर्गी-पालन आदि और/या अन्य कृषितर कार्य जैसे सम्बद्ध कार्य करते हैं और जिनका बैंक/ऋणकर्ता खाते का रिकार्ड संतोषजनक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे मछली-पालन, पुष्पोत्पादन, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलाजी आदि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी के कार्यों का वित्तपोषण करें।

बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

190. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की संख्या कितनी है और इनसे संबंधित स्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) बिहार में प्रस्तावित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के स्थानों का ब्यौरा क्या है और उनसे प्रसारण कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ग) क्या इन प्रसारण केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवायें संतोषजनक है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) बिहार में विवरण I में दिए गए स्थानों पर भिन्न-भिन्न शक्तियों के 39 ट्रांसमीटर कार्यरत है **(नीचे देखिये)**।

(ख) राज्य मे विवरण II में दिए गए स्थानों पर भिन्न-भिन्न शक्तियों के 22 और ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने का विचार है। **(नीचे देखिए)**। क्षमता/शक्ति पर निर्भर करते हुए एक ट्रांसमीटर योजना के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य समय लगभग 1 से 3 वर्ष तक होगा।

(ग) जी, हां।

विवरण I

23.11.95 की स्थिति के अनुसार बिहार में मौजूदा ट्रांसमीटर नेटवर्क

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	ट्रांसपोजर
डाल्टनगंज	औरंगाबाद	रामगढ़ हिल
कटिहार	बेगूसराय	
मुजफ्फरपुर	बेतिया	
पटना	भागलपुर	
रांची	बोकारो	
	बक्सर	
	चाईबासा	
	दरभंगा	
	देवधर	
	धनबाद	
	दुमका	
	फारबिसगंज	
	गया	
	घाटशिला	
	गिरिडीह	
	गोड्डा	